नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड
(भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिलाश्रीगंगानगर (राज.)
फोन: 01509–223873
ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar
Phone : 01509-223873

क्र.स.सी.एस.एफ./2–185/कृषि/2021–22 दिनाँकः 27.07.2021.

निविदा– सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर में स्थित **खण्ड–1 2 व 2 के गड्डों में मछली पकडनें व बेचने का कार्य करवानें** के लिए खुली बोली/निविदाएं दिनांक 18.08.2021 को 1.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 2.30 बजे खोली जायेंगी। निविदा में भाग लेने से अमानत राशि रू0 25,000.00 मात्र (पच्चीस हजार मात्र) व रूपये 236/ टेडण्र फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ** के नाम देय हो, फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा । नियम व शर्तें विभागीय वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। पैन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा कराना होगा।

प्रबंधक (उ.)
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़

फार्म में खण्ड–1, 2 व 3 के गडढों में मछली पकड़ने का ठेका लेने के लिए नियम व शर्तें

1. फार्म के गडढों में मछली पकड़ने के लिए अमानत राशि रूपये 25000.00 (रूपये पच्चीस हजार) का डी0डी0 जो कि राष्ट्रीय बीज निगम सूरतगढ़ के नाम देय हो, फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की अमानत राशि कार्य सन्तोषजनक होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
2. सफल बोलीदाता/निविदादाता को बोली समाप्त होते ही सम्पूर्ण रकम का एक तिहाई हिस्सा उसी दिन जमा कराना होगा तथा शेष रकम अगले दस दिवस में जमा करानी होगी।
3. ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने/रखवाली करने के आदमी ठेकेदार को लगाने होंगे तथा उनकी सूची इस कार्यालय को देनी होगी।
4. मछली निकालने के लिए ठेके की अवधि 31.3.2022 तक होगी।
5. कोई भी ठेकेदार आधा किलो से कम वजन की या 9 ईंच से कम साईज की मछली नहीं बेचेगा। जिन मछलियों पर सरकार की पाबन्दी है उन्हे भी नहीं बेचेगा।
6. यदि मछली पकड़ने पर टैक्स या अन्य किसी प्रकार का कर देय होगा तो उसका भुगतान ठेकेदार को ही करना होगा। यदि ठेकेदार के आदमियों द्वारा फार्म की फसलों या अन्य किसी सम्पति को नुकसान पहुचाया जाता है तो नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
7. ठेकेदार,उसके हिस्सेदार या उसके एजेन्ट के द्वारा फार्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे यदि ऐसा हुआ तो फार्म निदेशक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
8. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
9. मछली पकड़ने के लिए जाल,व्यक्ति आदि तथा इन्हे लाने लेजाने की व्यवस्था स्ंवय ठेकेदार को करनी होगी तथा सम्बन्धित चक/खण्ड प्रभारी से गेटपास लेकर ही माल लेजाना होगा।
10. किसी भी गडढे में भरे हुए पानी को निकालने या किसी पानी के बहाव में रूकावट पैदा करने के लिए निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से अग्रिम अनुमति प्राप्त करनी होगी।
11. अमान्य बोली से दोबारा आंमत्रित बोली में अगर रकम अधिक हुई तो उस पर ठेकेदार का किसी प्रकार का हक नहीं होगा। प्रथम ठेकेदार के ठेका छोडने पर दोबारा बोली की राशि पहली बोली की से कम होने पर अंतर की राशि पहले ठेकेदार की जमा राशि में से काट ली जायेगी।
12. ठेके के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना/जन हानि व क्षति होने पर फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।
13. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।इसके बाद पुनः निविदा/नीलामी यदि कम दर आने पर फार्म का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी।
14. सभी प्रकार कही वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
15. सफल बोलीदाता को रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध मय गवाहों के हस्ताक्षर के देना होगा।
16. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार/निविदादाता

नाम व पूरा पता ....

	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509–223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांकनिविदा भेजने हेतु पताः– निदेशक (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांकः–18.08.2021 –स्थानः– मीटिंग हाल, मुख्यालय, केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़

विषयः– केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित खण्ड–1, 2 व 3 के गड्ड़ों में मछली पालने व बचने का कार्य करवानें हेतु 31.03.2022 की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :–...
2. पिता/पति का नाम :–...
3. पूरा पता :–...
   ....
   ....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :–..
5. पैन नम्बर :–...(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नम्बर(वोटर आई डी,आधार कार्ड आदि)...
   (प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रू0 236/–) रसीद संख्या.........................दिनांक...........................अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..दिनांक............................

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित खण्ड–1, 2 व 3 के गड्ड़ों में मछली पालने व बचने का कार्य करवानें हेतु 31.03.2022 की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्रमशः....2......

ठेका न0	कार्य का विवरण	ब्लॉक	निविदा दर खण्ड़—1, 2 व 3 के खण्डों के लिए (रू. में)
1	खण्ड—1, 2 व 3 के गड्ड़ों में मछली पालने व बचने का कार्य करवानेंहेतु 31.03.2022 की अवधि के लिये ठेके पर लेने	खण्ड—1,2,3	

धरोहर राशि का विवरणः—

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरणः—

ठेका नम्बर	बैंक ड्राफ्ट न0एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अकों व शब्दों में)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूॅं/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्ते पढ़ व समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्ते मान्य है।शर्तो की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(नाम व पूरा पता)

....